छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग
निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

अपील प्रकरण क्रमांक 41/2008

1. श्री भारत भूषण साहू, – अपीलार्थी
ग्राम–कपसदा, विकासखण्ड–धरसीवा,
जिला–रायपुर (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. जन सूचना अधिकारी/अतिरिक्त तहसीलदार, – प्रति अपीलार्थी
उप तहसील कार्यालय– धरसीवा,
जिला–रायपुर (छत्तीसगढ़)

//आदेश//
(दिनांक 24 जून, 2009)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री भरत भूषण साहू द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए दिनांक 27.07.2007 को जन सूचना अधिकारी/अतिरिक्त तहसीलदार, धरसीवा के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था, उक्त आवेदन पर संतोषजनक जानकारी नहीं मिलने के कारण उनके द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर के समक्ष दिनांक 30.11.2007 को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। उक्त अपील पर भी उत्तर एवं जानकारी नहीं मिलने के कारण उससे असंतुष्ट होकर उनके द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 02.01.2008 को यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया तथा उभय पक्ष के तर्कों का श्रवण किया गया। प्रकरण में जानकारी देने में हुये विलंब के लिए तत्कालीन अतिरिक्त तहसीलदार को दस हजार रूपये शास्ति का कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया, जिसका उत्तर उनके द्वारा दिनांक 27.03.2009 को प्रस्तुत किया गया। अपीलार्थी का यह तर्क है कि उन्हें त्रुटिपूर्ण जानकारी दी जा रही है और उन्होंने जिन बिन्दुओं पर जानकारी चाही है, उसके संबंध में कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया जा रहा है और सीमांकन भी गलत किया जा रहा है। प्रकरण में तत्कालीन अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा बताया गया कि अपीलार्थी को जानकारी समयावधि में दे दी गई है और जैसा रिकार्ड था, वैसी जानकारी दी गई थी, किन्तु आवेदक कुछ जानकारी से संतुष्ट नहीं है। इस संबंध में आयोग द्वारा भी बाद में वर्तमान अतिरिक्त तहसीलदार को निर्देश दिये गये थे कि वे अपीलार्थी की उपस्थिति में पुनः सीमांकन कराये और उसके बाद स्पष्ट जानकारी दी जावे। आयोग के निर्देश के पालन में राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 12.06.2009 को पुनः सीमांकन कराया जाकर विस्तृत सीमांकन प्रतिवेदन तैयार किया गया है, जिसे अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा भी प्रति–हस्ताक्षरित किया गया है और इसकी प्रति भी अपीलार्थी को दी गई है, किन्तु अपीलार्थी उससे भी संतुष्ट नहीं है और वे जानकारी लेने से इंकार करते हैं। अतः ऐसी स्थिति में जन सूचना अधिकारी की कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है, अतः जारी कारण बताओ सूचना पत्र निरस्त किया जाता है। प्रकरण में अपीलार्थी के नक्शा या राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार की त्रुटि हो तो उन्हें राजस्व अधिकारी के समक्ष विधिवत आवेदन करना चाहिए और सक्षम अधिकारियों द्वारा जो आदेश पारित हो, यदि वे उससे असंतुष्ट हो तो भू–राजस्व संहिता के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करना चाहिए। जहाँ तक सूचना का अधिकार अधिनियम का प्रश्न है, उनके अन्तर्गत जितनी जानकारी उपलब्ध थी, वह उन्हें दी जा चुकी है और उसके आधार पर वे जो भी कार्यवाही करना चाहे, उसके लिए वे स्वतंत्र है। इस प्रकरण में रिकार्ड को देखने के बाद यह स्पष्ट होता है कि उस ग्राम में चकबंदी के पश्चात् जो नक्शा बना है अथवा बटांकन हुआ है, उसमें हुये कुछ कब्जे के अनुसार भूमि के रकबे में काफी कमी आयी है और उसके कारण लोगों में झगड़े की काफी आशंका बन गई है, अतः इस सबंध में कलेक्टर, रायपुर को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वे अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर तथा अधीक्षक, भू–अभिलेख की विशेष टीम बनाकर इस ग्राम का नक्शा और पुराना रिकार्ड के आधार पर अतिरिक्त तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी तथा संबंधित ग्रामवासियों के समक्ष रिकार्ड की दुरूस्ती का विशेष अभियान चलायें, ताकि भविष्य में इस प्रकार की स्थिति निर्मित न हो और ग्रामवासियों के बीच झगड़े की आशंका न बने। साथ ही यदि शासकीय भूमि पर कोई अतिक्रमण पाया जाता है तो उसे नियमानुसार कड़ाई से हटाया भी जावे तथा यह कार्य एक माह के अन्दर पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जावे। प्रकरण में अन्य किसी प्रकार की कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त अपील प्रकरण का निराकरण किया जाता है।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com